बेरसिया

विकास योजना

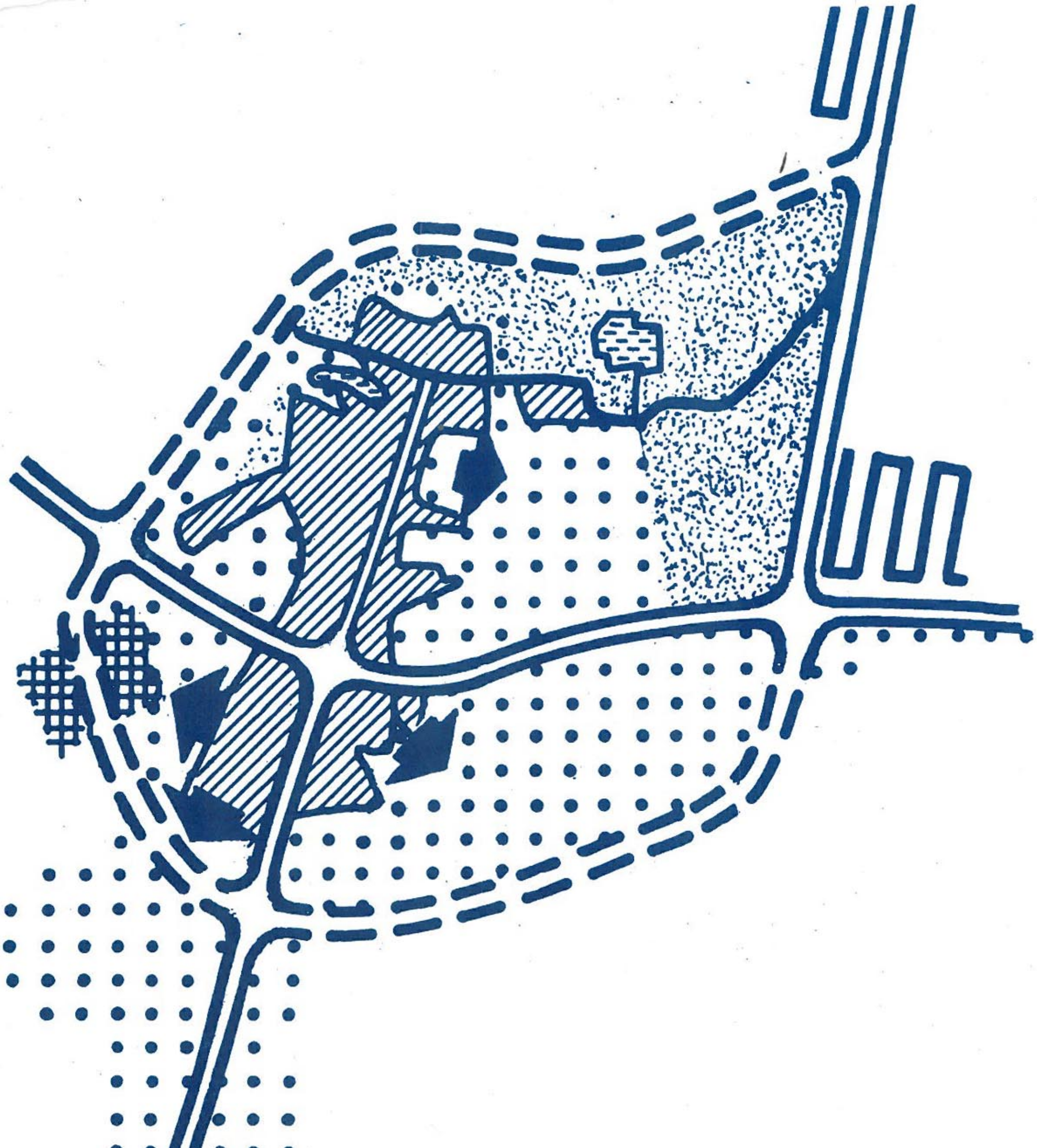

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

बैरसिया
विकास योजना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रस्तावना

बैरसिया नगर प्रदेश की राजधानी भोपाल से 42 कि.मी. दूर उत्तर दिशा में राज्य राजमार्ग क्रमांक 23 पर स्थित है। यह भोपाल जिले का तहसील मुख्यालय नगर है। निवेश क्षेत्र के पश्चिम दिशा में वाह नदी प्रवाहित होती है। नगर से संलग्न प्रक्षेत्र कृषि उत्पाद के लिये जाना जाता है। बैरसिया नगर अकबर के शासनकाल में रायसेन सरकार के अंतर्गत था। बाद में यह भोपाल रियासत के संस्थापक द्वारा अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान को पट्टे पर दिया गया एवं तत्पश्चात् आजादी के पूर्व तक यह सूबा मालवा के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन था।

नगर का वर्तमान विकास प्रमुख मार्ग के उत्तर दिशा में हुआ है। मालवा पठार के अंतर्गत होने से यहाँ की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ है। नगर तहसील स्तरीय प्रशासकीय केन्द्र एवं उपक्षेत्रिय स्तर का शैक्षणिक केन्द्र तथा कृषि आधारित व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है। राजधानी भोपाल के निकट होने से आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के कारण नगर विकास की प्रबल संभावनाएँ हैं, अतः भूमि का समुचित उपयोग करते हुए अनियोजित विकास को व्यवस्थित करने, आवासीय क्षेत्रों हेतु भूमि का प्रस्ताव, नगर की गतिविधयों के अनुरूप वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि का प्रावधान, नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास, जल स्त्रोतों एवं गंदी बस्तियों का सुधार, कृषि उत्पादन एवं उसके संग्रहण हेतु समुचित प्रावधान विकास योजना में किये गये हैं । नगर विकास को आधुनिक परिवेश के अनुरूप सुनियोजित दिशा मिल सके तथा नागरिकों को यथोचित नगरीय सेवा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सके, इसी उद्देश्य को लेकर विकास योजना वर्ष 2021 की प्रक्षेपित जनसंख्या 57 हजार को आधार मानकर तैयार की गई है जिसमें युक्तियुक्त भूमि उपयोगों के साथ ही विभिन्न प्रस्तावों के प्रावधान किये गये है। साथ ही सुगम परिभ्रमण तंत्र एवं अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव भी सम्मिलित है।

बैरसिया विकास योजना म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(1) के अंतर्गत आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–78–2006–बत्तीस दिनांक 08.10.2008 के द्वारा अनुमोदित होकर उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24.10.2008 से प्रभावशील है।

इस विकास योजना के क्रियान्वयन से निःसंदेह नगर का समग्र नियोजित विकास होगा, जिसमें सभी क्रियान्वयन संस्थाओं का योगदान अपेक्षित है।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल